

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

क्रम-संख्या-66 (ड-1)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 अप्रैल, 2020

वैशाख 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या क०नि०-2-446/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (103)-2020

लखनऊ, 29 अप्रैल, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-162

दिनांक 22 जनवरी, 2019 के उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-177/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 के,-

(क) हिन्दी पाठ में, प्रथम परन्तुक में, प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "केन्द्रीय कर" के स्थान पर शब्द "राज्य कर" पढ़ा जाये ;

(ख) अंग्रेजी पाठ में, प्रथम परन्तुक में, प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "central tax" के स्थान पर शब्द "state tax" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 130 राजपत्र-2020-(271)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 32 सा० राज्य कर-2020-(272)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।